रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 1990/कार्तिक 3, 1912
No. 258] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 1990/KARTIKA 3, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1990

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 55-ई टी सी (पी एन)/90

विषय:—मक्खन का निर्यात।

फाइल सं. 28(24)/90-ई-1 :—उपर्युक्त विषय पर 25 अक्तूबर, 1990 के निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या नि (नि.) आ., 1988/ए एस (7.3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि मक्खन का निर्यात राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) आनन्द (गुजरात) द्वारा आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-2) के पैरा 34 की शर्तों के अनुसार सरणीबद्ध किया जाए।

3. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति, अप्रैल, 1990-मार्च 1993 (खण्ड-2) की अनुसूची-1 के भाग "क" की क्रम सं. 7 पर मक्खन से संबंधित प्रविष्टि हटाकर भाग "ख" की सूची 4 में रख दी गई है। उक्त नीति की अनुसूची-3 में भी यह संशोधन कर दिया गया है।

4. यह सार्वजनिक सूचना लोकहित में जारी कि गयी है।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 25th October, 1990

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 55-ETC(PN)/90

Subject.—Export of Butter.

File No. 28(21)/90/E-I.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O. 1988/AM(73), dated the 25th October, 1990, on the above subject.

2. On a review of the situation, it has been decided to canalise the export of Butter by the National Dairy Development Board, (NDDE), Anand (Gujarat), in terms of paragraph 34 of Import and Export Policy 1990–93 (Volume II).

3. Accordingly, the entry relating to Butter at S. No. 7 of Part 'A', Schedule I of the Import and Export Policy, April, 1990—March 1993 (Volume I) has been omitted and inserted in List 4, Part 'B'. Consequential amendment has also been made in Schedule III of the said policy.

4. This Public Notice has been issued in public interest.

TEJENDRA KHANNA,
Chief Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990